राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

<u>1. अपील संख्या – 713/2014/जोधपुर.</u> 2. अपील संख्या – 714/2014/जोधपुर. 3. अपील संख्या – 715/2014/जोधपुर.

मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम,

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी.

जे–1–96, मिनी ग्रोथ सेंटर, संगरिया, जोधपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर.

<u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u> श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री महावीर जैन, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से. श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/04/2016

निर्णय

यें तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय 1. वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 82 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) में अपील संख्या 7/आरवेट/जेयूबी/2013-14, अपील संख्या 8/आरवेट/जेयूबी/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2014 व अपील संख्या 9/आरवेट/जेयूबी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तूत की गयी है। जिसमें अपीलीय अधिकारी ने अपील संख्या 7/आरवेट/जेयूबी/2013-14 में वेट अधिनियम की धारा 24, 25 व 55 में कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 में आरोपित कर एवं ब्याज राशि क्रमशः रुपये 1,50,333 / – व 38,335 / – को यथावत रखते हुये अपील अस्वीकार की है एवं अपील संख्या 8/आरवेट/जेयूबी/2013–14 में वेट अधिनियम की धारा 24, 25 व 55 में कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिये पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 में आरोपित कर एवं ब्याज राशि क्रमशः रुपये 5,35,154 / – व 82,949 / – को यथावत रखते हुये अपील अस्वीकार की है, को विवादित किया है। अपील संख्या 9/आरवेट/जेयबी/2013-14 में वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 में कर निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिये पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 में आरोपित कर एवं ब्याज राशि क्रमशः रुपये 90,070 / –, 7,656 / – व शास्ति राशि 49,116 / – को यथावत रखते हुये अपील अस्वीकार की है, को विवादित किया

है।

Amin

५ नुहोर्थ

--: 2 :-- 1–3. अपील संख्या<u>–713/14, 714/14 व 715/2014/जोधपु</u>र.

 इन तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का 3. सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवचंन, जोधपुर द्वारा दिनांक 28.08.2012 को किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा खिडकी, दरवाजे एवं फर्नीचर की फिटिंग में प्रयक्त होने वाले माल की बिक्री की जाती है, जिसमें Aluminium section, profile, Aluminium metal mesh grill / jaali आदि सम्मिलित है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जाने वाले माल Aluminium grill / jaali पर 5% की दर से कर का भुगतान किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह उपधारित किया गया कि Aluminium grill / jaali पर कर देयता अधिनियम की अनुसूची संख्या V के तहत 14% की दर से कर देयता है जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने इस माल (Aluminium grill / jaali) पर अधिनियम की अन्सूची चत्रर्थ की प्रविष्ठि संख्या 92 में शूमार मानते हुये 5% की कर दर से कर का भूगतान किया है। इस आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2010–11 में आदेश दिनांक 31.01.2013 के द्वारा Aluminium grill / jaali के विक्रय पर 9% की दर से अंतर कर रुपये 1,50,333 / – व ब्याज रुपये 38,335 / – आरोपित किया गया व कर निर्धारण वर्ष 2011–12 में आदेश दिनांक 31.01.2013 के द्वारा Aluminium grill / jaali के विक्रय पर 9% की दर से अंतर कर रुपये 5,35,154 / – व ब्याज रुपये 82,949 / – आरोपित किया गया। कर निर्धारण वर्ष 2012–13 में आदेश दिनांक 31.01.2013 Aluminium grill / jaali के विक्रय पर 9% की दर से अंतर कर रुपये 90,070 / –, ब्याज 7,656 / – व शास्ति राशि 49,116 / – आरोपित किया गया। साथ ही सर्वेक्षण के दिन लेखा पुस्तकों में घोषित माल से भौतिक रुप से कम पाये गये माल राशि 1,75,414 / – पर अधिनियम की धारा 25(1) के तहत 24.558 / – रुपये की शास्ति आरोपित की गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष 2010–11 में अन्य माल के अलावा Metal mesh/ Aluminium grill / jaali का विक्रय 16,70,372 / – का किया गया है जिस पर 5% की दर से वैट संग्रहण किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह मानते हुये कि उक्त संदर्भित माल पर वैट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 92 या 49 से आच्छादित नहीं है, 9% की दर से अंतर कर एवं ब्याज आरोपित किया । \

एवं ब्याज आरोपित किया।

LITER लगातार......3

<u>-: 3 :- 1–3. अपील संख्या–713/14, 714/14 व 715/2014/जोधपुर.</u>

बहस में अग्रिम कथन किया कि वैट अधिनियम की अनुसूची की चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 92 Inclusive है। दरवाजों, खिडकियों व फर्नीचर की फिटिंग मे Metal mesh/ Aluminium grill / jaali का प्रयोग होता है। अतः इस पर 5% की दर से कर देयता है। विद्वान अभिभाषक ने बहस में इस बात पर जोर दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स अग्रवाल एल्यूमिनियम के मामले मे दिये गये निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह सीमित प्रश्न था कि क्या एल्युमिनियम ग्रिल मैटल मैस–वायर मैस, वायर नेटिंग व बार्वड वायर प्रविष्टि संख्या 92(8) में सम्मिलित होती है अथवा नही ? अपीलार्थी व्यवहारी के मामले में प्रश्न यह है कि Metal mesh / Aluminium grill / jaali प्रविष्टि संख्या 92(8) में प्रयुक्त शब्द "Fitting for doors or windows" से आच्छादित है अथवा नहीं ? उन्होंने यह तर्क दिया कि उनके द्वारा बेचा गया माल Metal mesh / Aluminium grill / jaali प्रविष्टि संख्या 92(8) में प्रयुक्त शब्द "Fitting for doors or windows" से आच्छादित होता है तथा इस पर 5% की दर से कर देयता है। इस तर्क को तीनों अपीलों मे दोहराया। अपील संख्या 715 / 2014 कर निर्धारण वर्ष 2012–13 के संबंध में सर्वेक्षण के समय भौतिक सत्यापन पर लेखा पुस्तकों से कम पाये माल के संबंध में तर्क किया कि सकल लाभ की अनुमानित दर 8.18% पूर्ववर्ती वर्षों को आधार मानकर गणना की गयी तथा इससे आये गये अंतर को कम स्टॉक मानते हुये उसे बिक्री मानते हुये कर 24558 / - रुपये धारा 61 में शास्ति 49,116 / - आरोपित की गयी जो अविधिक है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने कोई बिक्री साबित नहीं की है। उपरोक्त बहस में प्रस्तूत किये गये तर्कों के आधार पर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया व अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखने व अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

 उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा विक्रय किये गये माल पर वैट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ में प्रविष्टि 92 या 49 में विहित कर दर के अनुसार कर देयता होगी अथवा अनुसूची पंचम में विहित कर दर के अनुसार कर देयता होगी ? द्वितीय प्रश्न अपील संख्या 715/2014 के संबंध में है कि क्या अनुमान के आधार पर कम पाये गये स्टॉक पर बिक्री मानकर कर शास्ति आरोपणीय है या नहीं ?

down"

Litel 🦳 लगातार......4

 प्रकरण के निस्तारण के क्रम में वैट अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों का अध्ययन आवश्यक है। वैट अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रकार है :--

4. Levy of tax and its rate. -

- (1) Subject to the other provisions of this Act and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the tax payable by a dealer under this Act, shall be at such point or points, as may be prescribed, in the series of sales by successive dealers and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule III to Schedule VI at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedules.
- (2) Every dealer who in the course of his business purchases any good other than exempted goods in the circumstances in which no tax under sub-section (1) is payable on the sale price of such goods and the goods are disposed off for the purpose other than those specified in clause (a) to (g) of sub-section (1) of section 18, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the rate mentioned against each of such goods in Schedule-III to Schedule VI of the Act.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the tax payable by the dealer covered by sub-section (2) of section 3, shall be levied at the rate not exceeding two percent on the turnover, as may be notified by the State Government.
- (4) Where any goods are sold packed in some material, whether charged for separately or not, notwithstanding anything contained in subsection (1), the tax liability of and the rate of tax on the packing material shall be according to the tax liability of and the rate of tax on the goods packed therein.
- (5) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedules, prospectively or retrospectively, or reduce the rate of tax payable in respect of any goods and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.
- (6) Every notification issued under sub-section (5) shall be laid, as soon as may be after it is so issued, before the House of the State Legislature, while it is in session for period of not less than thirty days which may comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the sessions in which it is so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in such notification or resolves that any such notification should not be issued, such notification thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

ann in the

(7) Notwithstanding anything contained in this Act, any registered dealer, who imports into, or manufactures in, the State such goods as may be notified by the State Government, may, at his option, pay, in lieu of the tax payable by him on sale price of such goods under this Act, a tax at full rate on the maximum retail price of such goods in the manner as may be prescribed:

Provided that where a dealer has purchased any goods -

- (a) from aforesaid importer or manufacturer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods; or
- (b) from another registered dealer where tax on the maximum retail price of such goods was paid in the State on an earlier occasion,

the purchasing dealer, irrespective of whether he is registered or not, while making resale of such goods in the State, shall, notwithstanding anything contained elsewhere in the Act, be entitled to recover from the buyer the amount of tax paid by him at the time of purchase of such goods under such conditions and restrictions, and in such manner, and within such time, as may be prescribed.

 वैट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 92 व 49 एवं अनसुची पंचम निम्न प्रकार है :--

- 92. Nuts, bolts, screws, fasteners, Fitting for doors, window and furniture including
 - (1) hinges-butt, piano, narrow, tee, handles for locks, furniture handles, furniture knobs, drawer channel, furniture fitting, furniture hinges, furniture catchers,
 - (2) nails, revets, cotter pins, staples, panel pins, blue cut taks, hob nails, stars, studs, iron heels, bullock and horse shoes and nails,
 - (3) chains of all kinds,
 - (4) all kinds of metal sections, including slotted angles, shelves and accessories,
 - (5) rods, rails, channels and curtain fittings,
 - (6) tower bolts, handles, aldrops, window stay, gate hook, door stopper, brackets, card clamp, clips, corners, washers, eyelets, hooks and eyes, hangers, hasps, pegs, pelmet fittings, sliding door fittings, stoppers, suspenders, springs, magic eyes, trolley wheels, pulleys and holdfasts,

(7) wire brushes,

(8) wire mesh, metal mesh, wire netting and barbed wire.

49. "Ferrous & non-Ferrous metals & alloys, non metals, such as aluminium, copper, Zinc & extrusions of those"

ann in fund

6 :- 1-3. अपील संख्या-713/14, 714/14 व 715/2014/जोधपुर.

| S | CH | IED | TI | F | _ ` | V |
|---|-----|-----|----|----|-----|---|
| 0 | UI. | ILL | | L' | - | Y |

| S.No. | Description of Goods | Rate of Tax | |
|-------|--|-------------|--|
| 1. | Goods not covered in any other schedule under the Act or under any notification issued under section 4 of the Act. | 14 | |

10. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स अग्रवाल एल्यूमिनियम बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन वृत–तृतीय, जयपुर न्यायिक दृष्टांत 32 टैक्स अपडेट पृष्ठ 122 में निम्न व्यवस्था दी है :--

Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 which came into force with effect from 01-04-2006-schedule IV of the Act- Residuary entry in schedule-V of the Act- Classification of goods - Aluminium Grill or Aluminium grill section Metal Mesh having lost concurrently before all three authorities below, namely; assessing Authority, deputy commissioner (Appeals) and Rajasthan Tax Board, Ajmer the assessee - M/s Agarwal Aluminium, Jodhpur is before this court in the present batch or revision petitions being aggrieved by the Tax Board order dated 05-07-2010 by which the Tax Board held against the assesse that the goods manufactured and sold by it namely: Aluminium Grill or Aluminium Grill Section was not taxable under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 which came into force w.e.f 1-04-2006, as Metal-mesh @ 4% under schedule-IV of the act but @12.5% under the Residuary Entry in Schedule-V of the said Act. Legal principles, this court would proceed to examine as to whether the commodity in question namely aluminium grill or Aluminium grill section manufactured by the assessee is taxable at 4% under entry 92.8 of schedule IV of the Act or at 12.5% in Schedule-V containing Residuary entry of the said Act. "While dismissing revision petition the Rajasthan High Court held that:- "

(1) since the word 'Mesh' necessarily implies and includes the process of netting or weaving of the wires which may be of different widths but since no such weaving or netting process is admittedly carried out by the assessee in its manufacturing process, it is not possible to include 'Aluminium Grills' or 'Aluminium grill sections' manufactured by the assessee with in the ambit and scope of words 'Metal Mesh' in entry 92.8 of Schedule-IV along with words wire mesh, wire netting and barbed wire. The same has to be therefore held to be taxable in the residuary entry @ 12.5 % in schedule V of

the Act Junitim

7 :- 1-3. अपील संख्या-713/14, 714/14 व 715/2014/जोधपुर.

(2) The commodity in question was described by the assessee right from the beginnings as 'Aluminum grills' or 'Aluminium grill sections' and never the words metal mesh occured to them or so applied in the relevant documents during the contemporary period prior to 01-04-2006, when finding the entry 92.8 useful and attracting lesser rate of tax the assessee shifted its stand and changed the description from 'Aluminium grills' or 'Aluminium grill sections' to 'metal mesh.' Such a change of stand, which may or may not be bonafide, does not change the legal position for the assesse.

(3) Therefore the authorities below concurrently and rightly held in the case of the assessee that the commodity in question could not fall under in specific entry particularly Entry 92.8 of schedule IV of the Act and, therefore, the same could not be taxed @ 4% and was liable to be taxed @ 12.5% under the residuary entry in schedule V of the Act. Such concurrent findings therefore, deserve to be confirmed and revision petition filed by the assesse to this extent deserve to be dismissed

(4) The deletion of penalty by the appellate authorities' undersection 61 of the Act deserves to be upheld and for this reason the revision petitions filed by the Revenue are also liable to dismissed.

11. हस्तगत प्रकरणों में दिनांक 28.08.2012 को सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि वर्ष 2010–11 में 16,70,372/– रुपये की एल्यूमिनियम ग्रिल की बिक्री 5% की दर से की गयी है। वर्ष 2011–12 में 59,46,156/– रुपये की एल्यूमिनियम ग्रिल की बिक्री 5% की दर से की गयी है। वर्ष 2012–13 में दिनांक 01.04.2012 से 30.04.2012 तक 11,18,015/– रुपये की एल्यूमिनियम ग्रिल की बिक्री 5% की दर से की गयी है। दिनांक 01.05.2012 से अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा एल्यूमिनियम ग्रिल की बिक्री की दर से 14% वैट वसूल किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। इस आशय की अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2010–11 की कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पृष्ठ संख्या 6 पर उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने Aluminium grill को 5% की कर दर से बिक्री की है।

12. हस्तगत तीनों प्रकरणों में निहित निर्विवादित रूप से विक्रय किये गये माल एल्यूमिनियम ग्रिल / जाली पर कर दर का बिन्दु विवादित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित पैरा संख्या 10 में अग्रवाल एल्यूमिनियम के मामले में दी गयी व्यवस्था हस्तगत प्रकरणों मे पूर्ण रूप से लागू होती है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये

American Juni

-: 8 :- 1-3. अपील संख्या<u>-713/14, 714/14 व 715/2014/जोधपुर</u>.

तर्क की उनके द्वारा बेचा गया माल एल्यूमिनियम ग्रिल / जाली अनुसूची—IV की प्रविषटि संख्या 92(8) या 49 से आच्छादित होते है, में कोई बल नहीं है। निर्णय के प्रकाश में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर दर के संबंध मे की गयी बहस में उठाये गये समस्त बिन्दु / तर्क बलहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाते है।

13. अपील संख्या 715/2014 में कर निर्धारण वर्ष 2012–13 के संबंध में सर्वेक्षण तिथि दिनांक 28.08.2012 को भौतिक सत्यापन पर कम पाये गये माल के संबंध में जो कि अनुमान के आधार पर व्यापार खाता तैयार किया जाकर शास्ति आरोपित की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कथित कम पाये गये स्टॉक की बिक्री को प्रमाणित नहीं किया गया है। छिपाई गयी बिक्री को प्रमाणित किये बिना कल्पना के आधार पर बिक्री मानकर उस पर कर व शास्ति आरोपित करना विधिसम्मत नहीं है।

14. हस्तगत प्रकरणों में उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचना के पश्चात् यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये माल एल्यूमिनियम ग्रिल/जाली के विक्रय पर अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुसूची—V में विहित 14% की कर दर लागू होगी। अपील संख्या 715/2014 में कथित कम पाये गये स्टॉक को बिक्री मानकर उस पर कर व शास्ति आरोपण विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपील 713/2014 व 714/2014 में अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है, अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुये अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है। अपील संख्या 715/2014 में एल्यूमिनियम ग्रिल/जाली पर 9% की दर से निर्धारित अन्तर कर 90,070/— व ब्याज 7,656/— रूपये के बिन्दु की सीमा तक अपीलीय अधिकारी के आदेश की आदेश की पुष्टि की जाती है। धारा 25(1) मे भौतिक रुप से कम पाये गये माल रुपये 1,75,414/— निर्धारित कर 24,558/— व धारा 61(1) में आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

15. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपील संख्या 713/2014 व 714/2014 को अस्वीकार किया जाता है। अपील संख्या 715/2014 को आंशिक स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुना,या गया। 16. dminitur 104/16 (राजीव चौधरी) सदस्य

र जोहाइर 4.04.2016 (मनोहर पुरी) सदस्य